[2018] 6 एस.सी.आर 899

नगरपालिका निगम, उज्जैन एवं एक अन्य

बनाम

बी.वी.जी इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 3330 वर्ष 2018)

28 मार्च, 2018

[रंजन गोगोई**,** आर**.** भानुमति और मोहन एम**.** शांतनगौदर**,** न्यायमूर्तिगण **]**

निर्णय/आदेश- टंकण त्रुटी - *27* मार्च *2018* को दिए गए निर्णय में स्पष्टीकरण और *[2018] 6* एस. सी. आर. *861* में प्रकाशित -अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुति अनुसार दिया गया स्पष्टीकरण- उक्त निर्णय *(*प्रवर्तनशील भाग*)* के पैरा *52* को तदनुसार प्रतिस्थापित किया गया ।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 3330 वर्ष 2018

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ के डब्ल्यू. पी. सं. 4676 वर्ष 2018 दिनांकित 07.04.2016 के निर्णय और आदेश से

तथा

सिविल अपील संख्या 3331 एवं 3332 वर्ष 2018

देवदत्त कामत, राजेश इनामदार, आदित्य भट, गौतम तालुकदार, मिश्रा सौरभ, शेषातल्पा साई बंडारू, मुश्ताक अहमद, उपस्थित पक्षकारों की तरफ से अधिवक्ता

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था, द्वारा

मोहन एम**.** शांतनागौदर**,** न्यायमूर्ति निर्णय घोषणा उपरांत अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में उल्लेख करते हुए निर्णय मे टंकण त्रुटी की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया. कि वर्ष 2018 की सिविल अपील संख्या 3330 तथा 3331 को अनुमति देते हुए, बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 3332 वर्ष 2018 को खारिज करने का उल्लेख उक्त निर्णय में नहीं किया गया है, इसलिए इसे ठीक किया जाना चाहिए । सत्यापन पर, हम पाते हैं कि उक्त प्रस्तुति उचित है ।

इसलिए, निर्णय (प्रवर्तनशील भाग) के पैरा 52 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना हैः

तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2018 की सिविल अपील संख्या 3330 तथा 3331 स्वीकार है । परिणामस्वरूप, बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 3332 वर्ष 2018 खारिज । लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा ।

उपरोक्त स्पष्टीकरण को रजिस्ट्री द्वारा मूल निर्णय में अंकित किया जाएगा और निर्णय में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं ।

अपीलों का निपटारा किया गया।